सं.ए.12018/04/2020-डीआरएस (भाग-I)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय आरडीटीएल, गुवाहाटी, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यालय अधीक्षक के पद के भर्ती नियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले,इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in. पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार,

दूरभाष:- 011-23061141

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय अधीक्षक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल - 6	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 02 वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति (अल्पकालिक संविदा सहित)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक उपक्रमों/विश्व-विद्यालयों/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारित	समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण प्रोन्नति समिति में (स्थायीकरण/ प्रोन्नति) के लिए शामिल होंगे:	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती किए जाने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए जाने की आवश्यकता है।

				कर रहा हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन स्तर 5 में या समकक्ष पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) अनुभव: प्रशासन/रोकड़ एवं लेखा नोट: विभागीय प्रवर श्रेणी लिपिक जिसकी वेतन स्तर-4 के ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा हो और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो, पर बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार का चयन पद पर नियुक्ति के लिए हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।	1. औषधि महानियंत्रक (भारत) -अध्यक्ष 2. निदेशक, केन्द्र औषधि परीक्षण प्रयोगशाला-सदस्य 3. उप-निदेशक, प्रशासन (औषधि)-सदस्य	

[फा.सं.ए.12018/04/2020-डीआरएस(भाग-I)]

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार